



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों/इंटर  
महाविद्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली का अधिष्ठापन कर  
उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना**

**विज्ञप्ति संख्या - 24/2017**

निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखण्ड, राँची के पत्रांक 609 दिनांक 13.04.2017 में दिए गए निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य स्थित सभी स्थापना अनुमति विद्यालयों/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों/प्रभारी प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का अधिष्ठापन करते हुए उक्त आधार पर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

JAC/कॉ.स्था./8848/11-SECY/227/17  
Dt. 05.05.2017  
D.O.P : 06.05.2017

अध्यक्ष के आदेश से,  
ह./- सचिव,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

8x6